(47)

312

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा म0प्र0 .

268
24.5.14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-1989-II/14

...अमरदेव पाण्डेय ...द्वारा आज दिनांक 24-5-14 ... प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी प्रकरण क्रमांक ----------/2013-14

गोविन्द प्रसाद तनय स्व0 सूर्यदीनराम ब्राह्मण उम्र 72 साल पेशा खेती निवासी ग्राम हिनौता तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0 ------ निगरानीकर्ता

बनाम,

1- शिवदत्त नाई तनय अवल नाई
2- रामदत्त तनय अवल नाई

दोनों निवासी ग्राम महखोर तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0 ----
------- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी पीठासीन श्री अनिल खरे, प्रकरण क्रमांक 139/निगरानी/2011-12 आदेश दिनांक 26.2.14

निगरानी अन्तरगत धारा 50 म0प्र0 राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नांकित है :-

1/ यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि, प्रक्रिया तथ्य एवं प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2/ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह देखने एवं समझने का प्रयास नहीं किया कि अपीलीय विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील क्रमांक 64/अपील/2006-07 में उत्तरवादी/ निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र

97

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R1989-II/14 जिला—सीधी

गोविन्द प्रसाद ब्रा0/ शिवदत्त नाई

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 139/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.02.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	